

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

प्रमाण-पत्र

सत्र 2024-25 हेतु CBSE/CISCE/CAIE की विद्यालयों में सम्प्रदाय प्रदान करने के लिए राजस्थान सरकार की संकेत - पं. 168/वि.सं. 12200/अर्ज-8 दिनांक - 30.01.2022 की पालन में तैयार कराए गए विद्यालयों की जानकारी वाले समुदाय सूचकांक, कक्षा सार, संकाय, विषय आदि की लिए CBSE/CISCE/CAIE से सम्प्रदाय प्रमाण-पत्र (निरक्षित वर्गों के अर्थात् अनार्य प्रमाण पत्र जारी किया गया है।

1. उक्त अनार्य प्रमाण पत्र संकेत सं. 1624-25 की लिए ही लागू होगा।
2. विद्यालय/संकाय द्वारा राजस्थान तैयार कराए गए नैतिक संकेत अभिनियम, 1999 एवं विषय - 1683 उक्त संशोधित विषय-2011 की पालन की जायेगी।
3. विद्यालय/संकाय द्वारा कक्षा/सहोप स्तरीय कार्यालयों में भर्तीपत्रों निरक्षित जायेगी।
4. राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर कक्षा/सहोप की ताल में जारी किए गए विद्यालय-निर्देशों की अद्यतन पालन की जायेगी।
5. विद्यालय/संकाय द्वारा भ्रष्टाचार निरोधक आयोग द्वारा शिक्षा एवं अधिकांश अभिनियम 2009 की अनुसूची में समय-समय पर जारी विद्यालय-निर्देशों, विषयों की अद्यतन पालन की जायेगी। इनके अलावा 25 प्रतिशत विद्यार्थियों को नि:शुल्क प्रवेश दिला जहाँ अभिभावक द्वारा एवं अनार्य प्रमाण पत्र जारी की जायेगी जो कि सभी को सुलभ बन चुका नहीं किताब अन्य सुनिश्चित करना होगा।
6. विद्यालय द्वारा (टे.सी.सी./बी.टी.सी.) कक्षा 1 में ही कक्षाओं का संयोजन सम्पन्न करना सार तक किया जाना होगा।
7. विद्यालय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, आखेर में सम्पन्न प्रमाण पत्र है तो CBSE/CISCE/CAIE से सम्प्रदाय मिलने पर राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, आखेर को सुनिश्चित करना होगा। साथ ही विद्यालय की राजस्थान बोर्ड में सम्प्रदाय 2023 की सम्पन्न हो जायेगी।
8. विद्यालय में अधिस्तान पर स्थापित किया जाना एवं इनके संयोजन हेतु प्रमाणित स्वीकृत विद्यालय किया जाना होगा।
9. विद्यालय/संकाय परिषद में गैर-अध्यक्ष स्तर स्थापित नहीं करेगी।
10. राजस्थान विद्यालय (बी.सी. का विनियमन) अभिनियम - 2016 विषय 2017 में संशोधित वर्गों की पालन की जानी होगी।
11. राज्य सरकार एवं राजस्थान शिक्षा विभाग द्वारा विद्यालय का समय-समय पर निरीक्षण किया जा करीबन उक्त संकाय-समय पर विषय एवं कक्षा सार सही सही निरक्षित एवं सम्पन्न उपस्थापना करने होगी।
12. विद्यालय में विद्यार्थी जाने की लिए रेल एवं अन्य आवश्यक सुविधाएं उपस्थापन करायेगी जायेगी।
13. भ्रष्टाचार निरोधक आयोग द्वारा समय-समय पर जारी विद्यालय-निर्देशों की पालन की जायेगी होगी।
14. भ्रष्टाचार निरोधक आयोग द्वारा अनार्य प्रमाण पत्रों को विद्यालय भवन का अधिस्तान/सहोप राजस्थान कार्य के लिए किया जा करेगा।
15. विद्यालय द्वारा सम्पन्न/अनार्य प्रमाण पत्र कक्षा सार तक ही अनार्य प्रमाण पत्र लागू होगा।
16. विद्यार्थी संवेदन में जारी विद्यालय-निर्देशों की पालन सुनिश्चित की जाये।

नोट- अनार्य प्रमाण पत्र की संकेत में जारी आदेशों के पर विरोध..... के अलावा यदि, कक्षा/सहोप की ताल में ही जो ताल वर्गों की पालन करनी अनिवार्य होगी।

उपरोक्त वर्गों की पालन नहीं किया जाने पर विद्यालय द्वारा राजस्थान तैयार कराए गए नैतिक संकेत अभिनियम- 1999 एवं विषय - 1683 एवं संशोधित विषय 2011 की ताल विद्यालयों में निरक्षित कक्षा/सहोप कक्षा सार विद्यालयों को जारी अनार्य प्रमाण पत्र एवं का दिया जायेगा। विद्यालय परिषद उक्त संकेत सार में विद्यालय का संयोजन नहीं करेगी।

| विद्यालय | AJMER | बोर्ड | SRINAGAR |
|--------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|------------------|
| विद्यालय का नाम | NEERJA MODI SCHOOL (988312) | | |
| संयोजन (CBSE/CISCE/CAIE) | CBSE | | |
| एन.ओ.सी. प्रत्यापन जारी करने का सत्र | 2024-25 | माध्यम | English |
| विद्यालय मान्यता प्राप्त स्तर | Secondary (1-10) | एन.ओ.सी. हेतु कक्षा सार | Secondary (1-10) |

नोट- उक्त अनार्य प्रमाण पत्र का उपयोग विद्यालय को विषय द्वारा जारी सम्पन्न कक्षा सार, संकाय/विषय/समय की संकेत में ही उपयोग करने एवं हेतु सम्पन्न की एन.ओ.सी. प्रमाण की जायेगी है।

The Section and its record shall be opened for inspection by an Officer/Official of the Board or an authorized representative of Board/State educational Department at any time and the school shall furnish information as may be asked for by the Board/State Government from time to time.
The school Management shall be having full responsibility if any court case arise in this regard. The details furnished if any by the management is found to be false or incorrect at any stage, this No Objection Certificate is liable to be cancelled.



निदेशक
अध्यक्ष
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

नोट- भ्रष्टाचार निरोधक आयोग (बी.टी.सी.) निदेशक द्वारा उक्त प्रमाण पत्र अनार्य प्रमाण पत्र उक्त की सुझाव की लिए विद्यालयों को प्रमाण की विद्यार्थी अर्थात् कराया है। उक्त में किसी भी प्रकार की विद्यार्थी के लिए कक्षा/सहोप/निदेशक निदेशक विभाग होगा।

Sonal
PRINCIPAL
NEERJA MODI SCHOOL
CHACHHIYAWAS, AJMER

RajKaj Ref
8141810
Sonal
Chairman
Neerja Modi School
Chachhiyawas, Ajmer

Document certified by ASHISH MODI
<ashishmodi.kgp@gmail.com>
Digitally Signed by Ashish
Modi
Designation: Director
Date :18-06-2024 11:53:04